SHRI N.K. PREMACHANRAN (Kerala): Sir, I also associate myself with it.

GOVERNMENT BILL

The Manipur University (No.2) Bill, 2005

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): Sir, I move:—

"That the Bill to establish and incorporate a teaching and affiliating University in the State of Manipur and to provide for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

The question was proposed.

श्री सुरेश भारद्वाज (हिमाचल प्रदेश): धन्यवाद उपसभापति महोदय, मैं सर्वप्रथम तो मंत्री महोदय का धन्यवाद भी करूंगा और बधाई भी दूंगा कि वे एक महत्वपूर्ण विधेयक इस सदन में चर्चा के लिए लाए हैं। वैसे जब संसद चल रही हो तो विषयों पर मैं नहीं समझता कि आर्डिनेंस का जो रास्ता आप अपनाते हैं, वह उचित है। बहुत ही आवश्यक कारणों से विधान में यह व्यवस्था की गई है कि इंटर-सेशन पीरियड में, यदि संसद में कोई विधेयक नहीं लाया जा सके तभी बहुत आवश्यकता होने पर ही आडिनेंस का प्रावधान किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप यह विधेयक सदन में लाये हैं और मणिपुर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस्टेबिलिश करने के विषय में यह बिल सदन में आया है, यह बहुत ही सराहनीय कदम है।

उपसभापति जी, मणिपुर हिन्दुस्ताान का एक दूर पड़ने वाला छोटा-सा प्रदेश है और इसकी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। वास्तव में मणिपुर ऐसा पहला राज्य है, जहां पर आजाद हिन्द फौज ने पहली बार भारत का तिरंगा लहराया था। आज भी वहां पर जो समुदाय रहते हैं, उनमें भारतीयता की भावना और राष्ट्रीयता की भावना शायद बाकी हिस्सों से काफी ज्यादा है। एक ओर बर्मा से मिला हुआ यह प्रदेश है, दूसरी ओर नागालैंड है, तीसरी ओर मिजोरम है और हिन्दुस्तान के केवल दो राजमार्गों के द्वारा यह प्रदेश जुड़ा हुआ है।

जब किसी भी क्षेत्र की विकास की दृष्टि से अनदेखी होती है, तो वहां पर इनसरजेंसी की भावना बढ़ती है, इसको हम देखते आये हैं। पहले जमाने में जब राजाओं का राज होता था, तो वह किसी देश पर इनवेज़न करते थे, उस पर अधिकार करते थे, लेकिन आज तरीके बदल गये हैं, किसी भी प्रदेश पर, किसी भी राज्य पर अधिकार जमाने के लिए वहां पर धार्मिक समुदायों में इस प्रकार का परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं जिससे वहां पर राष्ट्रीयता की भावना को समाप्त करके दूसरे देशों के प्रति भावना उत्पन्न हो जाये या इनसरजेंसी की भावना उत्पन्न हो जाये। आज मणिपुर के चार जिले ऐसे बन गये हैं, जहां पर धार्मिक आधार पर कन्वर्सन होता है और सिलसिलेवार हिली

राज्यों में इस प्रकार के प्रयास किये जाते हैं तथा इसी तरह का प्रयास मणिपुर में भी हो रहा है। हालांकि भारत के साथ मणिपुर का महाभारत के काल से एक पुराना रिश्ता है और आज भी वहां पर धार्मिक दृष्टि से भारत के जो मुख्य स्थान हैं, उनके साथ मिलते-जुलते विचारों के लोग वहां पर रहते हैं। लेकिन इन राज्यों को देश से काटने के लिए, देश की मुख्य धारा से बाहर करने के लिए प्रयत्न दुनियाभर में हो रहे हैं, विशेषरूप से जो नार्थ-ईस्टर्न स्ट्रेटस हैं और देश के जो अन्य पर्वतीय राज्य हैं, उनमें यह प्रयास आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस प्रकार की स्थिति को बदलने के लिए आवश्यक है कि उस क्षेत्र को विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयास करें। मणिपुर में आज तक कोई भी विश्वविद्यालय सेंट्रल विश्वविद्यालय नही हो पाया, जबकि इसके आस-पास के उत्तर पूर्वी राज्य हैं, उनमें अधिकांश में केन्द्रीय विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं। वर्ष 1980 में मणिपुर की विधान सभा द्वारा कानून बनाकर के एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। लेकिन आज जिस प्रकार से देश भर के राज्यों की स्थिति है, आर्थिक दृष्टि से उनकी स्थिति बहुत दयनीय होती जा रही है और देश के बड़े-बड़े राज्य भी अपने जो इंस्टीट्युशन्स है, अपने जो विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों को वह ठीक प्रकार से चलाने में असमर्थता महसूस कर रहे हैं। उस दृष्टि से जो हमारे नार्थ-ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनकी विकास की दृष्टि से जो स्थिति है, अपनी आर्थिक स्थिति की कमजोरी के कारण वे अपने इंस्टीट्युशन्स को चलाने में असमर्थता महसूस कर रहे हैं, उसके लिए आवश्यक था कि वहां की जो यूनिवर्सिटी बनी थी, उस यूनिवर्सिटी को केन्द्रीय सरकार अपने संरक्षण में ले। इसलिए मैंने प्रारम्भ में ही माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई दी है कि चाहे देर से आए लेकिन दुरूस्त आए है। आपने मणिपुर के उस विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया है। लेकिन जब भी हम केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाते हैं तो उसमें एक बात का ध्यान रखने की आवश्यकता रहती है कि हम हिस्टरी, जॉग्राफिया या पॉलिटिकल सांइस की क्लासिज़ विश्वविद्यालयों में, अपने कॉलेजिज़ में चला रहे हैं। बच्चा बीएससी करता है, बीए करता लेकिन उसके बाद वह दर-दर की ठोंकरे खाता है। आज कहीं पर भी उसको रोज़गार मिलना संभव नहीं हो पाता है और जो शिक्षित बेरोज़गारी की समस्या देश में उत्पन्न हो रही है, उस शिक्षित बेरोजगारी के कारण अधिकांश स्थानों पर, चाहे आतंकवाद की स्थिति हो या इनसरजेंसी की स्थिति हो, वह पैदा हो जाती है। इस दृष्टि से मेरा माननीय मंत्री महोदय को सुझाव है कि इस बिल में ही प्रोविज़न करते। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो विज़िटर का प्रोविज़न किया है, उसके द्वारा इन विषयों के अतिरिक्त जिस क्षेत्र में आज रोज़गार की संभावनाएं अधिक हैं, इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, बायो-टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, कंम्प्यूटर साइंस का क्षेत्र है, इनकी ओर भी इस बिल में प्रावधान करें अथवा जो यहां के स्टेट्यूज़ ऑडीनेंसिज़ हैं, जिनका प्रावधान आपने बिल में किया है, उसमें किया जाए तो मैं समझता हूं कि जो हमारी बेरोज़गारी की समस्या है, उससे निजात मिल सकेगी। अगर वहां पर शिक्षित बेरोज़गारों को आप रोज़गार उपलब्ध करा सकेंगे तो जो हमारे देश से यह प्रदेश कटने की स्थिति में आ रहा है और पिछले वर्ष जिस प्रकार का आन्दोलन वहां पर उग्र रूप धारण कर गया था, उस प्रकार की स्थिति फिर से उत्पन्न न हो, उसके लिए आवश्यक है कि हम यहां पर रोज़गार के अवसर शिक्षा के द्वारा उपलब्ध कराने का प्रयास करें। इसके अतिरिक्त

हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की जो काउंसिल है, उसमें विकास के लिए पैसा जाता है। आपने इसमें विश्वविद्यालय के लिए रैकिरिंग ऐक्सपेंडीचर 11 करोड़ का दर्शाया है और इनफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए 49 करोड़ की व्यवस्था आपने की है लेकिन किसी भी विश्वविद्यालय को, यदि हमें उसे अच्छी प्रकार से माडर्न विश्वविद्यालय का रूप देना है तो मैं समझता हूं कि 11 करोड़ को जो रैकरिंग ऐक्सपेंडीचर का आपने प्रावधान किया है, यह बहुत कम होगा, इसको और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ इस बिल में आपने एक इम्प्रूवमेंट भी की है। वैसे तो जो आपने सबसे लेटेस्ट मिज़ोरम विश्वविद्यालय की स्थापना की है, केन्द्रीय स्तर पर, उसके अनुरूप ही इस बिल की आपने संरचना की है लेकिन इसमें चीफ रैक्टर का जो प्रेवीज़न आपने किया है-जो गवर्नर किसी भी प्रदेश में केन्द्र और राज्यों के बीच में संबंध स्थापित करने वाली एक कड़ी हो सकता है, उसका जो प्रावधान किया है-यह सराहनीय है और बहुत अच्छा प्रावधान इसमें किया है। लेकिन इस क्षेत्र में, जैसा मैंने प्रारम्भ में ही कहा कि जिस प्रकार से इनसरजेंसी की प्रवृत्ति यहां पर बढ़ती जा रही है, जिस प्रकार से धार्मिक आधार पर यहां पर कनवर्शन की प्रवृत्ति बढ़ रही है और देश और विदेश की बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो हमारे ट्राइबल्स को और जो हमारी बॉर्डर स्टैट्स हैं-इसमें हमारा प्रदेश हिमाचल प्रदेश भी है, वह भी लेटेस्ट श्रेणी में आ गया है-जहां पर कनवर्शन के द्वारा ऐसी स्थिति पैदा की जाती है कि देश के प्रति जो राष्ट्रीयता की भावना है, उससे लोग विमुख होते जाते हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए इस विश्वविद्यालय में ही, चाहे आपने बिल में प्रावधान नहीं किया है क्योंकि बिल के ऑबजैक्ट्स एवं रीज़न्स में आपने कहा है कि इसकी व्यवस्था सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि बाकी जो यहां की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहां पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है। मणिपुर केवल मात्र एक ऐसा प्रदेश रह गया है जिसमें इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की गयी है। मैं समझता हूं कि इतना ही इसमें काफी नहीं है। सांस्कृतिक रूप से यह प्रदेश जो देश के साथ जुड़ा हुआ प्रदेश है, उस स्थान की अपनी कल्चरल आइडेंटिटी है जो वहां की सांस्कृतिक पहचान है, उसको बनाए रखने के लिए भी यह आवश्यक है कि हम, अपनी जो शिक्षा संस्थाएं है, हमारे जो शिक्षा से संबंधित अधिनियम और नियम बनाए जाते हैं, उनमें भी प्रावधान किया जाए कि हम उस प्रदेश की जो सांस्कृतिक पहचान है, उस प्रदेश की जो हमारी कल्चरल आइडेंटिटी है, उसको कैसे हम संरक्षण दे सकें-इस बात का प्रावधान भी इस शिक्षा संबंधी विधेयक में लाया जाता तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन आने वाले समय में जो ऑर्डीनेंसिज़, स्टेटयूज़ और रेगूलेशंस की बात आपने बिल में की है, उसमें इस प्रकार का प्रावधान भी होगा और इस प्रकार के इंस्टीटयूट्स विश्वविद्यालय द्वारा वहां पर खोले जाएं। जिससे वे culturally insurgency की ओर न बढ़ें। यह प्रदेश भारत से जुड़ा हुआ बहुत प्राचीन प्रदेश है, इसलिए यहां पर इस बात की अधिक आवश्यकता है कि यह प्रदेश भारत के साथ जुड़ा रहे। इस दृष्टि से आपने जो पहला कदम उठाया है कि इस प्रदेश में मणिपुर यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का रूप दिया है, यह बहुत सराहनीय कदम है। इसी के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, धन्यवाद।